बिल का सारांश

हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) बिल, 2023

- हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) बिल को 3 अप्रैल, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पेश और उसी दिन पारित किया गया। यह बिल हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा एक्ट, 1972 में संशोधन करता है। एक्ट यह रेगुलेट करता है कि किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था का अधिकतम किसी जमीन पर स्वामित्व हो सकता है। बिल के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:
- **बेटियों के लिए लाभ**: एक्ट में परिवारों के लिए अधिकतम अनुमत भूमि सीमा की गणना के लिए बेटों को एक अलग 'इकाई' माना गया था। एक परिवार के पास जितनी भूमि हो सकती है, वह परिवार में 'इकाइयों' की संख्या के सीधे अनुपात में होती है। इस प्रकार, बेटों वाले परिवारों में बेटियों वाले परिवारों की तुलना में अधिक भूमि हो सकती है। बिल कहता है कि विवाहित और अविवाहित बेटियों को भी भूमि की सीमा की गणना के लिए अलग-अलग 'इकाइयां' माना जाएगा।
- **सौर परियोजनाओं के लिए छूट**: एक्ट कुछ इकाइयों को भूमि सीमा से छूट देता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) राज्य और केंद्र सरकार, (ii) बैंक, और (iii) स्थानीय प्रशासन। औद्योगिक उपयोग (राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित) के लिए अधिग्रहित जमीन के संबध में भी छूट है। बिल छूट प्राप्त इकाइयों की सूची में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को जोड़कर इस प्रावधान में संशोधन करता है। सौर ऊर्जा परियोजना (ओं) को पीएसयू, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाना चाहिए।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

प्रतिनव दमानी
pratinav@prsindia.org

31 मई, 2023